

## उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक एफ ( )विधि/उवस/2021/ 1407

दिनांक-06.03.2021

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,  
भरतपुर।

विषय:- Diversion of 0.2652 ha of Forest land in favour of Public Health Engineering Department City Division Bharatpur for Replacement of old pipe line by DI Pipe line Malah Headworks to Sewer fort to Depol area, Kanjoli Lines at Amn depot Bharatpur, District- Bharatpur, Rajasthan.

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर का पत्र क्रमांक 1190 दिनांक 26.02.2021, उप वन संरक्षक, (वन्यजीव) भरतपुर के पत्र क्रमांक पत्र.SP.1 दिनांक 06.03.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सन्दर्भित पत्र के द्वारा आलौघ्य प्रत्यावर्तन प्रकरण के ऑनलाईन पार्ट II में निम्नवत टिप्पणी/ अभिशषा रिपोर्ट इस कार्यालय से चाही गई है। अतः चाही गई सूचना के अनुसार उप वन संरक्षक, (वन्यजीव) भरतपुर के पत्र SP.1 दिनांक 06.03.2021 के द्वारा पूर्ति कर इस कार्यालय को भिजवाया गया है जिसकी छाया प्रति संलग्न प्रेषित है। इसे Wildlife Clearance की भी आवश्यकता नहीं होने की बात कही है।

अतः इस प्रकरण की महत्वता को देखते हुए इसे उक्त प्रकरण को ऑनलाईन भी फारवर्ड किया जा रहा है, हालांकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर की टिप्पणी के लिए उप वन संरक्षक, (वन्यजीव) भरतपुर द्वारा पत्र लिखा जा चुका है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

*Mohit*

उप वन संरक्षक  
भरतपुर।

दिनांक-06.03.2021

क्रमांक एफ ( )विधि/उवस/2021/ 1408-09

प्रतिलिपि:- निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, नगर खण्ड, भरतपुर को सूचनार्थ।

उप वन संरक्षक  
भरतपुर।